कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या – 10/2018 विभागीय अपील
पंजीयन दिनांक – 13.11.2018

अपीलार्थी :– श्री रियाज खान पिता फरियाद खान, तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का शादी, तहसील एवं जिला चित्तौडगढ़, निवासी गांव खातीखेड़ा, तहसील सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.)

अपील अंतर्गत नियम–23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ दिनांक 04.05.2018

आदेश

दिनांकः 30/04/2026

यह अपील अपीलार्थी ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ के आदेश दिनांक 04.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिससे अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 में कार्यवाही उपरान्त अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड से दण्डित किया गया।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ ने अपीलार्थी को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत चार आरोपों से आरोपित करते हुए आरोप पत्र जारी किया। आरोपों की जांच के लिए जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 18.02.2016 के आदेश से उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। दिनांक 03.11.2017 को जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर को भिजवाया गया। जांच में चारों आरोपों का प्रमाणित होने से जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। बाद सुनवाई जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ ने दिनांक 04.05.2018 से अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड देने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज की गई। जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ से जांच अभिलेख तथा अपील पर टिप्पणी मंगवायी गयी। अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। अपीलार्थी ने लिखित में भी अपना कथन प्रस्तुत किया।

अपीलार्थी ने अपने कथन में बताया कि जांच अधिकारी ने सी.सी.ए. नियम 16 में दी गई जांच प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, जो कि एक अनिवार्य नियम है। जांच अधिकारी ने नियमों के विपरित अपनी मनमर्जी से जांच की है। अपीलार्थी पर लगाये आरोप अस्पष्ट है जिससे भी अपीलार्थी को प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर नहीं मिला। आरोपों को साबित करने का भार सरकार पर है परन्तु आरोपों को प्रमाणित करने के लिए सरकार की ओर से कोई साक्ष्य, सबुत प्रस्तुत नहीं हुए इसके बावजूद भी आरोपों को प्रमाणित मानकर दण्डित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। यह भी बताया कि अनुशासनिक अधिकारी को निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले जांच अभिलेख व साक्ष्य पर मनन व विचार करना चाहिये परन्तु जांच अभिलेख के नाम पर आरोप पत्र, अपीलार्थी का उत्तर व जांच प्रतिवेदन के अलावा कुछ नहीं है। केवल जांच प्रतिवेदन के आधार पर दण्ड देने का आदेश पारित कर दिया जो अवैध है। अनुशासनिक अधिकारी ने भी जांच प्रक्रिया के सभी नियमों को अनदेखा कर गंभीर आरोप नहीं होने के बावजूद दुर्भावना पूर्वक अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया है। अंत में अवैध जांच प्रतिवेदन के आधार पर दिये गये जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ के नियम विपरित आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने अपलार्थी के कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 04.05.2018 से विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत 16 सी.सी.ए. विरूद्ध श्री रियाज खॉ तत्कालीन पटवारी शादी, तहसील चित्तौडगढ़ के खिलाफ सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम –2014 में माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में हुई जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों यथा जमाबंदी के आदिनांक नहीं होने, नामान्तरकरण अद्यतन नहीं होने, नामांतरकरण पंजिका पी–21ए संधारित नहीं करने, राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने, मुख्यालय पर नहीं रहने, मोबाइल स्वीच ऑफ रखने, बिना रिश्वत लिए राजस्व कार्य नहीं करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोपों के सिद्ध होने पर निलंबित अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का

आदेश दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील में श्री रियाज खान द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे गंभीर दण्ड से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बगैर जांच अधिकारी की रिपोर्ट से पूर्णतया सहमत होकर की गई कार्यवाही को मात्र मैकेनिक प्रोसेस बताते हुए सरकारी पैरोकार की टिप्पणी को आधार बनाकर दिया गया दण्डादेश उन्हें अस्वीकार्य होने का कथन करते हुए संदर्भित आदेश दिनांक 04.05.2018 को निरस्त किए जाने व सेवा में निरन्तरता रखते हुए सभी देय लाभ दिलाए जाने की इस्तदुआ की गई।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ के आदेश दिनांक 04.05.2018 का अध्ययन किए जाने पर निम्न बिन्दु सामने आते हैंः

- यह कि शासन की महती " सरकार आपके द्वार कार्यक्रम–2014 " जिसमें माननीय मंत्रीगणों द्वारा भी शिरकत की गई, की जनसुनवाई के दौरान अपीलार्थी पटवारी शादी श्री रियाज खॉ के विरूद्ध गंभीर परिवाद प्रस्तुत हुए।
- यह कि उक्त जनसुनवाई में पटवारी के विरूद्ध राजस्व अभिलेख से संबंधित मूलभूत कार्यों यथा जमाबंदी पठन कर आदिनांक नहीं करने, नामान्तरकरण कार्यवाही में नियमित अद्यतन व व्यवस्थित संधारण का अभाव, राजकीय भूमियों का अतिक्रमण से संरक्षण न करने, मुख्यालय से अनुपस्थिति, रिश्वतखोरी में सक्रियता व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जैसी शिकायतों के चलते, निलम्बन की कार्यवाही कर सी.सी.ए. नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
- यह कि जांच अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़) द्वारा आरोपी कार्मिक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से किसी भी बचाव पक्ष पैरोकार की नियुक्ति नहीं हुई, उनके द्वारा स्वयं प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया जिसके बिन्दुओं का जांच कार्यवाही में समावेशन किया गया।
- यह कि जांच अधिकारी द्वारा आरोपी कार्मिक के विरूद्ध राजकार्य में निरन्तर उदासीनता, गैर जिम्मेदारी, मूलभूत दायित्वों के निर्वहन में कोताही, अनुशासनहीनता संबंधी सभी चारों आरोपों का सिद्ध होना पाया गया।

- **यह कि न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी कार्मिक को अनुशासनिक प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करते हुए दिनांक 12.03.2018 को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से सुने जाने के पश्चात प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करते हुए जांच रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए गंभीर प्रकृति के संपूर्ण आरोपों के सिद्ध होने से कार्मिक श्री रियाज खॉ पटवारी को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड से दण्डित किया गया।**

इस परिदृश्य में अपीलार्थी श्री रियाज खॉ के सेवाभिलेख का अध्ययन किया जाकर सम्पूर्ण सेवा संबंधी पृष्ठभूमि की जानकारी हेतु सर्विस बुक व व्यक्तिगत पत्रावली तलब की गई। उक्त रेकार्ड के अवलोकन से निम्न स्थिति उजागर होती है:

- यह कि श्री रियाज खॉ को दिनांक 21.09.1999 को मृतक आश्रित के रूप में राजस्व पटवारी के रूप में राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार पटवार प्रशिक्षण की शर्त पर अवकाश आरक्षित पटवारी के रूप में तहसील प्रतापगढ़ में अस्थाई नियुक्ति दी गई।
- यह कि पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में दिनांक 22.09.2000 से 30.05.2001 तक अपीलार्थी द्वारा पटवार प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।
- यह कि जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ के आदेश दिनांक 28.06.2004 द्वारा श्री रियाज खॉ अवकाश आरक्षित पटवारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन पटवार मण्डल घोटारसी, तहसील प्रतापगढ़ में किया गया।
- यह कि जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ के आदेश दिनांक 15.07.2005 से श्री रियाज खॉ पटवारी घोटारसी, तहसील प्रतापगढ़ का स्वैच्छिक स्थानान्तरण पटवार मण्डल पीलीखेड़ा, तहसील छोटीसादड़ी किया गया।
- यह कि श्री रियाज खॉ तत्कालीन पटवारी, पीलीखेडा तहसील प्रतापगढ के विरूद्ध फसल खरीफ 2063 में हुए अतिक्रमण की धारा–91 भू राजस्व अधिनियम के तहत समय पर कार्यवाही नहीं करने, बिना अनुमति कर्तव्य स्थल से दिनांक 31.07.2006 से 22.08.2006 व 30.08.2006 से 29.09.2006 तक अनुपस्थित रहने, वर्ष 2006–07 की कायमशुदा मॉग की समयबद्ध वसूली नहीं करने, पटवार मण्डल पीलीखेडा एवं कालाकोट के स्वीकृतशुदा

नामान्तरणों को एल.आर.सी. में फीड नहीं करवाने तथा सम्वत 2063–66 के रोटेशन से बनने वाले खसरों की लिखाई का कार्य यथासमय पूर्ण नहीं करने एवं राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्य कृषि गणना 2005–06 के सारणीकरण का समयबद्ध कार्य पूर्ण नहीं करने के आरोपों के चलते नियम–16 राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए।

- यह कि श्री रियाज़ खॉ तत्कालीन पटवारी कालाकोट, तहसील छोटी सादडी को कर्त्तव्य निर्वहन में उदासीनता के चलते विभागीय कार्यवाही अपेक्षित होने से दिनांक 29.01.2007 को उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा निलम्बित किया गया।
- यह कि श्री रियाज़ खॉ को उपखण्ड अधिकारी, कपासन के आदेश दिनांक 16.02.2012 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित होने से निलम्बित किया गया।
- यह कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत माननीय अरूण कुमार चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 22.08.2014 को ग्राम पंचायत शादी में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 22.08.2014 को निलम्बित किया गया।

श्री रियाज खॉ के विरूद्ध की उपरोक्तानुसार विभिन्न अनुशासनिक कार्यवाहियों में पारित दण्डादेश का विवरणः

- यह कि जिला कलक्टर चित्तौडगढ के आदेश दिनांक 26.11.2007 की पालना में एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई। साथ ही दिनांक 31.07.2006 से 22.08.2006 एवं दिनांक 30.08.2006 से 29.09.2006 तक का असाधारण अवकाश, उक्त अवधि का वेतन देय नहीं होने की शर्त पर, स्वीकृत हुआ। इसके अलावा निलम्बन काल में निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य राशि देय नहीं होना भी दण्ड में उल्लेखित किया गया।
- यह कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 01 मार्च 2008 अन्तर्गत नियम–16 सी.सी.ए. विरूद्ध श्री रियाज़ खॉ को राजकीय दायित्वों में गैर जिम्मेदारी, बगैर अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थिति व अनुशासनहीनता संबंधी अन्य विभागीय जॉच में समान विषयक आरोपों में दिनांक 26.11.2007 को दण्डित किए

जाने के कारण एवं अपचारी पटवारी द्वारा सभी गलतियों को स्वीकारने व भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने के कथन पर विभागीय जॉच कार्यवाही समाप्त की गई।

- यह कि उपखण्ड अधिकारी, कपासन के आदेश दिनांक 27.05.2011 के द्वारा श्री रियाज़ खॉ, तत्कालीन पटवारी हिंगोरिया के विरूद्ध संभागीय आयुक्त, उदयपुर कार्यालय से प्राप्त परिवाद एवं प्रतिनिधिमण्डल द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन तथा सामाजिक अंकेक्षण दिनांक 17.02.2011 को जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत में पटवारी के मुख्यालय पर नहीं रहने, राजस्व शिविर 26.11.2010 में खोले नामान्तरकरण व बंटवाड़े के राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं करने, मोबाइल स्विच ऑफ रखने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना संबंधी आरोपों पर नियम-17 सी.सी.ए. के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।
- यह कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 17.05. 2015 अन्तर्गत नियम 16 सी.सी.ए. विरूद्ध श्री रियाज़ खॉ, तत्कालीन पटवारी लांगच द्वारा आरोपों को सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बगैर अनुपस्थित रहने, राजकीय मोबाईल को बन्द रखने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने व चालू रेकार्ड पटवार मण्डल पर नहीं रखकर अन्यत्र रखने के आरोपों के सिद्ध होने से एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही निलम्बन अवधि 16.02. 2012 से 15.06.2012 में प्राप्त भत्तों के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दण्ड भी दिया गया।
- यह कि जिला कलक्टर चित्तौडगढ के आदेश दिनांक 03.04.2017 द्वारा श्री रियाज़ खान पटवारी फलासिया, तहसील भूपालसागर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद द्वारा रिश्वत लेते हुए दिनांक 31.03.2017 को गिरफ्तार किए जाने से दिनांक 31.03.2017 से निलम्बित किया गया।

उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर, चितौड़गढ़ के पत्र दिनांक 12.03.2026 अनुसार उक्त ए.सी.बी. प्रकरण संख्या 70/2017 में माननीय न्यायालय में दिनांक 06.12.2018 को चालान पेश हो चुका है और प्रकरण जैरे ट्रायल चल रहा है।

* **यह कि इस पृष्ठभूमि में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 04.05.2018 से नियम 16 सी.सी.ए. प्रकरण में श्री रियाज़ खॉ को "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के दण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी श्री रियाज़ खॉ को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किए गए। श्री रियाज़ द्वारा उपस्थित होकर लिखित अभ्यावेदन एवं मौखिक रूप से यही दोहराया कि उन पर लगाए गए आरोप इतने गंभीर नहीं है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाव, किन्तु अनुशासनिक अधिकारी ने दुर्भावना पूर्वक दोष के अनुपात से अधिक दण्ड दिया है। यह भी दर्शाया कि दायित्व निर्वहन में कमी से संबंधित आरोप के संबंध में स्पष्ट विवरण व विशिष्टियॉ नहीं दी गई है, न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। साथ ही यह भी कथन किया कि उनके द्वारा सेवाकाल में समर्पित भाव से उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना समय–समय पर की गई है। अतः उनके प्रकरण को सहानुभूति भाव से स्वीकार किया जावे।

अपीलार्थी के कथन के विपरीत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अपील की टिप्पणी में प्रस्तुत आक्षेपों को आधारहीन होकर वास्तविक तथ्यों से परे बताते हुए कहा कि प्रकरण में राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में दिए गए नियमों की पूर्ण पालना करते हुए न्याय, नियम एवं प्रकृति के सहज न्याय के सिद्धान्तों के प्रावधानों की पूर्णतः पालना कर दण्डादेश पारित किया गया है, जो नियमों के अनुकूल होने से उचित होकर अपील निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी श्री रियाज खॉ के प्रकरण में उनके सेवाभिलेख में अंकित विविध अनुशासनिक कार्यवाहियों, पुनरावृत (repeated) निलम्बन, सामयिक दण्डादेशों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में ऐसे कार्मिक को रेखांकित किया है "जो अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता **अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका है।"**

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रियाज खॉ का प्रकरण उनकी सम्पूर्ण राजकीय सेवा अवधि में कार्य निष्पादन के संदर्भ में विभिन्न दण्डादेशों के चलते पूर्णतः नकारात्मक रूप में मूल्यांकित होना दृष्टिगत है। यहां यह भी वर्णित किया जाना प्रासंगिक है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा कारित ट्रेप प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में लम्बित है।

अपीलाधीन आदेश में दण्डादेश पारित करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी के पृष्ठ में आरोपी कार्मिक का प्रतिकूल सेवा अभिलेख अवश्य रहा होगा, किन्तु उचित होता कि उसे आदेश में प्रदर्श किया जाता जिससे आदेश स्वतः व्याख्यात्मक (Self speaking) रूप लेता। तथापि वर्तमान में जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त समस्त सेवा अभिलेख, प्रकरण में पारित दण्डादेश की गुणावगुण पर पुष्टि करता है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत नियम 16 सी.सी.ए., 1958 विरूद्ध श्री रियाज़ खॉ तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल शादी, तहसील चित्तौड़गढ़ एवं तत्समय निलम्बित मुख्यालय तहसील कार्यालय, तहसील चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) संबंधी दण्डादेश दिनांक 04.05.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। किन्तु भविष्य के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि प्रकरण की प्रकृति अनुसार गुणावगुण पर सेवा पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए व्याख्यात्मक आदेश पारित किए जावे।

उक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 04.05.2018 यथावत रखा जाता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर